

**हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2014-15 का वार्षिक कार्यक्रम**

क्र.सं.	कार्य विवरण	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र
	1.हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलिक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 65%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55%
		4.क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के 85% राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण*	75%	50%	30%
4.	हिंदी टंकक,आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्शन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
10.	वेबसाइट 100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	
11.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)

12.(I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)			
(II) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(III) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
13. राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)		
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
14. कोड,मैनुअल,फार्म,प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		
15. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रमों के के ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिंदी में हो	<u>"क " क्षेत्र</u> "ख " क्षेत्र "ग " क्षेत्र	40%	30% 20%
			(न्यूनतम अनुभाग)
			सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/ निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, में "क " क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40% "ख " क्षेत्र में 25% और "ग " क्षेत्र में 15% कार्य हिन्दी में किया जाए ।